29/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई वकील भी उपस्थित नही है। बार-बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नही हुये। अतः शजरत्व वाद पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)